



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220662
CG-DL-E-24072020-220662

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2140]
No. 2140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

का.आ. 2425 (अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित छः उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 थी। और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई जिसे का.आ. सं. 1602(अ) के तहत दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 30 जून, 2018 तक प्रभावी आदेश के साथ अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-3 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर दिनांक 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र में संशोधित का.आ. 2183(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

2. और यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा तथा जबकि इससे संबंधित मुद्दों पर संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की गई, स्व-प्रमाणन को 13.07.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ.3449(अ) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, जिसे बाद में 12 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 4787(अ) के तहत आदेश में सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, और इससे बाद में अनुसूची में प्रत्येक उत्पादों के समक्ष उल्लिखित कार्यान्वयन की तिथियों के साथ सभी मदों के लिए दिनांक 12.10.2018 के का.आ. 5259(अ) के तहत 01 जनवरी, 2019 कर दिया गया। एसपीवी मॉड्यूल के मामले

में, स्व प्रमाणन की तिथि को दिनांक 13.02.2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 861(अ) के तहत 01.01.2019 से बढ़ाकर 31.03.2019 किया गया था, जो इस शर्त पर था कि ऐसे निर्माताओं/विकासकर्ताओं ने अपने एसपीवी मॉड्यूल दिनांक 31.10.2018 से पूर्व परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रस्तुत कर दिए हों। इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन को भारत के राजपत्र में दिनांक 04.01.2019 को प्रकाशित का.आ. 46(अ) के तहत आगे छह माह के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक बढ़ाया गया, जिसे दिनांक 03 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 2320(अ) के तहत 30.09.2019 तक बढ़ाया गया था और इसके अलावा, 22 अक्टूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 3790(अ) के तहत 31.12.2019 तक और इसके बाद आगे दिनांक 13.01.2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं. 178(अ) के तहत दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाया गया था।

3. और यतः कोविड 19 लॉकडाउन व्यवधान के चलते उद्योग ने अनुपालन के लिए और समय की मांग की, इसलिए इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन 30.06.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि ऐसे निर्माताओं के पास इन मदों के लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट आईएस [मद सं. 4 के लिए आईएस 16221 (पार्ट-2):2015/आईईसी 62109-2:2011 तथा मद सं. 5 के लिए आईएस 16169 2014/आईईसी 62116:2008] के अनुरूप वैध आईईसी हो और अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट हो ताकि आदेश का सुचारु क्रियान्वयन हो सके।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी (गुणवत्ता नियंत्रण)]

डॉ. बी.एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2020

S. O. 2425(E).—Whereas the Central Government had issued “Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017” vide S.O. 2920(E) dated 5 September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-3 in the schedule annexed to the order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 16th April, 2018 vide S.O. 1602(E), which was revised vide S.O. 2183 (E) published in Gazette of India on 30.05.2018.

2. And whereas, the industry had sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved were discussed with related stakeholders, the self-certification was extended to 4th September, 2018 vide S.O. 3449 (E) published in Gazette of India on 13.07.2018, which was further extended to 20th September 2018 for all products listed in the order vide S.O. No. 4787(E) published in Gazette of India on 12th September 2018, and further to 1st January 2019 vide S.O. 5259(E) dated 12.10.2018 for all items with dates of implementation indicated against each product in the schedule. In the case of SPV Module, the date of self-certification was extended from 1.01.2019 to 31.03.2019 vide S.O. No. 861 (E) published in Gazette of India on 13.02.2019 subject to the condition that such manufacturers /developers had submitted their SPV Modules to test laboratories before 31.10.2018. The self-certification for inverters (items 4-5) was extended by six months i.e. up to 30.6.2019 vide S.O. 46 (E) published in Gazette of India on 4.01.2019, which was further extended to 30.09.2019 vide S.O. 2320(E) published in Gazette of India on 3.7.2019, and further to 31.12.2019 vide S.O.3790(E) published in Gazette of India on 22.10.2019, and further to 30.06.2020 vide S.O.178 (E) published in Gazette of India on 13.1.2020.

3. And whereas, due to COVID 19 lockdown disruption the industry sought more time for compliance, the self-certification for inverters (items 4-5) stands extended from 30.6.2020 to 31.12.2020 subject to the condition that such manufacturers have valid IEC certificates corresponding to IS (IS 16221(Part 2):2015/IEC 62109-2:2011 for item No 4 and IS 16169:2014/IEC 62116:2008 for item No. 5) specified in the said order for these items and test reports from international test labs, for smooth implementation of the order.

[F. No. 223/140/2017-R&D (Quality Control)]

Dr. B.S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE